भाग–II

अध्याय–IV

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

परिचय

4.1 31 मार्च 2018 को 92 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। ये राज्य पीएसयूज 1954–55 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान निगमित हुये थे एवं इनमें 86 सरकारी कम्पनियां तथा 6 सांविधिक निगम सम्मिलित थे यथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम। आगे इन सरकारी कम्पनियों में 43 अकार्यरत कम्पनियां तथा अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली 16 सहायक कम्पनियां[1] सम्मिलित थी। वर्ष 2017–18 के दौरान चार कम्पनियों[2] को जोड़ा गया।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त इन पीएसयूज की प्रकृति तालिका 4.1 में दर्शाई गई है।

तालिका–4.1: उत्तर प्रदेश में पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	इस अध्याय में शामिल किए गए पीएसयूज की संख्या				इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज की संख्या
		2017–18 तक के लेखें	तक के लेखें		योग	
			2016–17	2015–16		
सरकारी कम्पनियां	80	4	7	4	15	65
सांविधिक निगम	6	-	3	1	4	2
कुल कम्पनियां/निगम	86	4	10	5	19	67
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	6	1	1	-	2	4
योग	**92**	**5**	**11**	**5**	**21**	**71**

21 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को इस अध्याय में शामिल किया गया है जैसा कि ***परिशिष्ट–4.1*** में उल्लिखित है। इसमें 71 पीएसयूज (सरकार नियंत्रित चार अन्य कम्पनियों सहित) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया है या वे अकार्यरत/परिसमापन में हैं या जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे जैसा कि ***परिशिष्ट–4.2*** में उल्लिखित है।

राज्य सरकार समय–समय पर पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इन 92 राज्य पीएसयूज में से, राज्य सरकार ने केवल 69 राज्य पीएसयूज (67 पीएसयूज में पूँजी एवं 2 पीएसयूज[3] में केवल ऋण) में धनराशि का निवेश किया है। राज्य सरकार ने 25 पीएसयूज में सीधे कोई भी पूँजी निवेश नहीं किया है, जिसमें 15 सहायक कम्पनियां शामिल हैं, जिनमें पूँजी का निवेश उनकी स्वामित्व धारक कम्पनियों[4] के माध्यम से किया गया है, तीन कम्पनियां[5] ऐसी हैं जिनमें एक से अधिक सरकारी कम्पनियों ने संयुक्त रूप से पूँजी का निवेश

---

[1] ***परिशिष्ट–4.1*** की क्रम संख्या 11 एवं 12 तथा परिशिष्ट–4.2 की क्रम संख्या 15 29, 31, 32, 33, 35, 38, 63 एवं 65 से 70।

[2] ***परिशिष्ट–4.1*** की क्रम संख्या 4 एवं 19 एवं परिशिष्ट–4.2 की क्रम संख्या 25 एवं 26।

[3] उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड।

[4] उत्तर प्रदेश सरकार ने छः स्वामित्व धारक कम्पनियों (परिशिष्ट–4.1 की क्रम संख्या 13 तथा ***परिशिष्ट–4.2*** की क्रम संख्या 1, 11, 16, 30 एवं 37) को उनकी सहायक कम्पनियों के लिए पूँजी दी।

[5] ***परिशिष्ट–4.1*** की क्रम संख्या 3 एवं ***परिशिष्ट–4.2*** की क्रम संख्या 59 एवं 71।

किया है, तीन स्मार्ट सिटी कम्पनियों[6] और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड जिनमें पूँजी का निवेश स्वायत्त निकायों ने किया है तथा तीन सांविधिक निगम[7] जिनमें राज्य सरकार की कोई पूँजी नहीं है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 इस अध्याय में शामिल किए गए 21 पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाली चार वर्षों की अवधि में इन 21 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका 4.2 दिया गया है।

तालिका–4.2: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर[8]	5889.00	6861.86	7699.57	7725.28
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	-	16.52	12.21	0.33
उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी	1011790	1137210	1250213	1375607
जीएसडीपी में पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	-	12.40	9.94	10.03
टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.58	0.60	0.62	0.56

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जीएसडीपी के आँकडें एवं पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के आँकड़ों के आधार पर संकलित।

2015–16 से 2017–18 की अवधि में इन 21 पीएसयूज का टर्नओवर बढ़ा है। 2015–18 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 0.33 प्रतिशत एवं 16.52 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में वृद्धि 9.94 प्रतिशत एवं 12.40 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की पिछले तीन वर्षों के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि[9] 10.78 प्रतिशत रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 10.78 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 9.47 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिसेस्दारी 2014–15 में 0.58 प्रतिशत से सीमान्त रूप से घटकर 2017–18 में 0.56 प्रतिशत हो गई।

राज्य के पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

4.3 31 मार्च 2018 तक 21 राज्य पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण में निवेश का विवरण ***परिशिष्ट–4.3*** में है।

इस अध्याय में शामिल पीएसयूज निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आते हैं:

(i) पीएसयूज जो खुली बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं (एकाधिकारी पीएसयूज): उत्तर प्रदेश में, 21 कार्यात्मक पीएसयूज में से 8 पीएसयूज इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके पास एकाधिकारी/अल्पाधिकारी प्रकृति का परिचालन है यानी इनके परिचालन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत सीमित प्रतिस्पर्धा है।

---

[6] ***परिशिष्ट–4.1*** की क्रम संख्या 4 एवं ***परिशिष्ट–4.2*** की क्रम संख्या 25 से 26।

[7] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश वन निगम एवं उत्तर प्रदेश जल निगम।

[8] नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार।

[9] चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [{(2017–18 की राशि/2014–15 की राशि)^(1/3 वर्ष)}-1]*100।

(ii) निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूजः इस श्रेणी में वे पीएसयूज शामिल हैं जिनकी प्रमुख आय निश्चित आय स्रोतों से आती है जैसे सरकारी अनुदान/सब्सिडी, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि। 11 पीएसयूज इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(iii) प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के पीएसयूजः इस श्रेणी में दो पीएसयूज शामिल हैं, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए खुले हैं।

4.4 31 मार्च 2018 को इन राज्य पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दी गई तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका–4.3: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र	पीएसयूज की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)						
		पूँजी			दीर्घावधि ऋण			योग
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य[10]	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	
इस अध्याय में शामिल में किये गये पीएसयूज								
एकाधिकारी क्षेत्र वाले पीएसयूज	8	1861.74	1795.55	493.50	731.77	247.00	2965.05	8094.61
निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज	11	103.22	1.00	11.29	117.88	0	5.11	238.50
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के पीएसयूज	2	203.82	0	25.00	845.33	0	0	1074.15
इस अध्याय में शामिल पीएसयूज का योग	**21**	**2168.78**	**1796.55**	**529.79**	**1694.98**	**247.00**	**2970.16**	**9407.26**
इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज का योग	71	2591.62	123.41	350.25	2149.89	1.10	1981.21	7197.48
महायोग	**92**	**4760.40**	**1919.96**	**880.04**	**3844.87**	**248.10**	**4951.37**	**16604.74**

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं पूँजी/ऋण के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

इस अध्याय में शामिल किए गए 21 पीएसयूज में 31 मार्च 2018 तक, कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) का अंकित मूल्य[11] ₹ 9,407.26 करोड़ था। निवेश में पूँजी 47.48 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 52.22 प्रतिशत सम्मलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घकालिक ऋणों का 34.51 प्रतिशत (₹ 1,694.98 करोड़) था जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 65.49 प्रतिशत (₹ 3,217.16 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे यूरोपियन निवेश बैंक एवं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लिया गया था।

निवेश 243.92 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 के ₹ 2,735.27 करोड़ से 2017–18 में ₹ 9,407.26 करोड़ हो गया था। निवेश में बढ़ोत्तरी मुख्यतः 2015–16 से 2017–18 के दौरान पूँजी और दीर्घकालिक ऋणों में क्रमशः ₹ 2,727.51 करोड़ एव ₹ 3,944.48 करोड़ के बढ़ोत्तरी की वजह से थी।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण

4.5 वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना या निजीकरण नहीं किया गया।

[10] अन्य में स्वामित्य धारक कम्पनी, वित्तीय संस्थान, बैंक आदि द्वारा निवेश शामिल है।
[11] अभिदाताओं द्वारा पूँजी शेयरों के प्रति पूँजी भुगतान की गयी शेयरों की मूल लागत।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

4.6 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य पीएसयूज के सम्बंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय सहायता का सारांश नीचे दी गई तालिका 4.4 में दिया गया हैं।

तालिका–4.4: वर्ष के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[12]	2015-16		2016-17		2017-18	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
अंश पूँजी की सहायता (i)	2	633.47	5	506.71	3	136.26
दिये गये ऋण (ii)	7	199.00	10	736.42	6	372.40
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	7	1521.46	11	2446.44	10	809.72
कुल सहायता (i+ii+iii)[13]	**13**	**2353.93**	**20**	**3689.57**	**18**	**1318.38**
ऋण पुर्नभुगतान अपलिखित	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	1	6.83	-	-
बकाया प्रत्याभूतियाँ	1	52.65	1	52.65	4	154.62
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	-	-	-	-	-	-

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी में बजटीय सहायता का विवरण नीचे दिये चार्ट 4.1 में दिया गया है।

चार्ट–4.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता

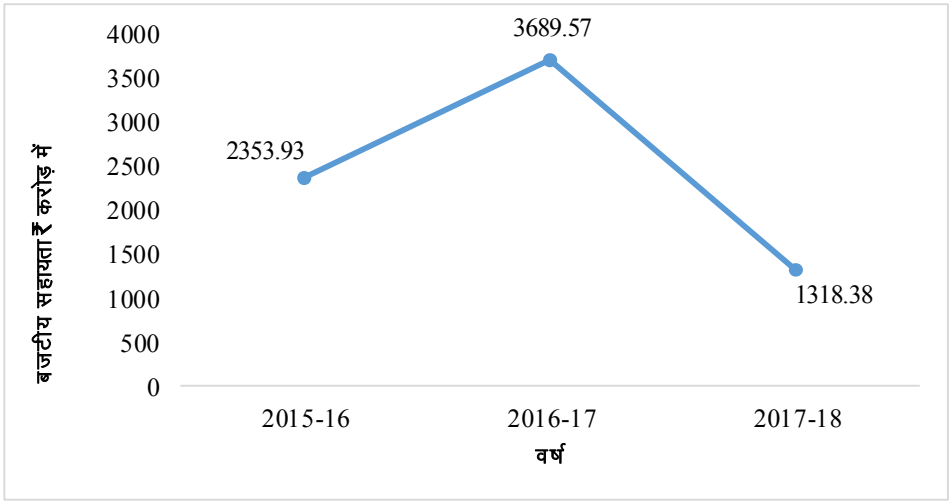

वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज की वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 1,318.38 करोड़ एवं ₹ 3,689.57 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त ₹ 1,318.38 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के

---

[12] यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

[13] ये आँकड़ें उन पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं जिन्होंने बजट से एक या एक से अधिक मदों में राशि प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

रूप क्रमशः ₹ 136.26 करोड़ ₹ 372.40 करोड़ एवं ₹ 809.72 करोड़ सम्मिलित थे। वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 809.72 करोड़ के अनुदान में से ₹ 766.82 करोड़ उत्तर प्रदेश जल निगम को उसके स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया था।

पीएसयूज को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) प्रत्याभूति देती है, जिसके लिए प्रत्याभूति कमीशन लेती है जो कि जीओयूपी ने ऋणी के अनुसार 0.25 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तय किया है (15 सितंबर 2000)। 2017–18 में बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 154.62 करोड़ थीं। वर्ष 2017–18 के दौरान पीएसयूज द्वारा कोई प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

4.7 पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के सम्बंध में सभी राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आँकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। इस सम्बंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति नीचे दी गई तालिका 4.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका–4.5: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

मद के सम्बंध में बकाया	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	4760.40	5457.09	-696.69
ऋण	3844.87	2845.84	999.03
प्रत्याभूतियाँ	154.62	90.01	64.61

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के पीएसयूज में से 50 पीएसयूज[14] में इस तरह के अन्तर मौजूद हैं जो कि ***परिशिष्ट–4.4*** में दिखाये गये हैं। आँकड़ो में अन्तर गत कई वर्षों से मौजूद है। अन्तर के समाधान हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय–समय पर उठाया गया। उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (***परिशिष्ट–4.4*** के क्रमांक 48, 36 एवं 37) में मुख्य रुप से अन्तर पाया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार और सम्बंधित पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध समाधान करना चाहिए।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

4.8 कुल 92 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 49 कार्यरत पीएसयूज यथा 43 सरकारी कम्पनियां एवं छः सांविधिक निगम एवं 43 अकार्यरत पीएसयूज 31 मार्च 2018 को सीएजी के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत थे। लेखाओं की तैयारी के लिए राज्य पीएसयूज द्वारा समय सीमा के अनुपालन की स्थिति निम्नवत दर्शायी गयी है।

राज्य पीएसयूज द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.1 वर्ष 2017–18 के लिए सभी पीएसयूज द्वारा 30 सितंबर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किए जाने थे। हालाँकि, 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल पाँच सरकारी

[14] ***परिशिष्ट–4.4*** की क्रम संख्या 1, 7, 8, 13, 16, 19 से 23, 26, 29, 32, 36 से 45, 48, 49, 51, 55 से 58, 60 से 66, 68, 69, 71, 72, 74 से 78, 82, 83, 85 एवं 90।

कम्पनियों[15] ने वर्ष 2017–18 के लिए अपने लेखे सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2018 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये थे जबकि 38 कार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। छः सांविधिक निगमों में से चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश अवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश वन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। वर्ष 2017–18 के लिए सभी छः सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2018 को प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2018 को पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका–4.6: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

विवरण		सरकारी कम्पनियां/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां/सांविधिक निगम			
		सरकारी कम्पनियां	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	सांविधिक निगम	योग
31.03.2018 को सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में कुल पीएसयूज की संख्या		80	6	6	92
घटायाः नए पीएसयूज जिनके 2017–2018 के लेखे देय नहीं थे		.	.	.	.
घटायाः पीएसयूज जो परिसमापन के अन्तर्गत हैं जिनके लेखे 2017–18 के लिए देय नहीं थे		11	01	0	12
2017–18 के देय लेखाओं के लिए पीएसयूज की संख्या		69	5	6	80
30 सितंबर 2018 तक सीएजी ऑडिट के लिए लेखे प्रस्तुत करने वाले पीएसयूज की संख्या		4	1	.	5
पीएसयूज[16] की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं		74	5	6	85
बकाया लेखाओं की संख्या		778	35	5	818
बकाया का ब्यौरा	(i) परिसमापन में	94	8	.	102
	(ii) अकार्यरत	502	23	.	525
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये	33	3	.	36
	(iv) अन्य	149	1	5	155
'अन्य श्रेणी' के विरुद्ध बकाया का आयु–वार विश्लेषण	एक वर्ष (2017-18)	7	1	3	11
	दो वर्ष (2016-17 एवं 2017-18)	8	.	2	10
	तीन वर्ष या ज्यादा	134	.	.	134

85 राज्य पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिये गये थे, में से 23 पीएसयूज में जीओयूपी ने ₹ 11,694.75 करोड़ (पूँजीः ₹ 93.29 करोड़, ऋणः ₹ 774.77 करोड़, एव अनुदानः ₹ 10,826.69 करोड़) निवेश किया था जबकि शेष 62 पीएसयूज में लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान पीएसयूवार राज्य सरकार द्वारा निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 4.5*** में दर्शाया गया है।

[15] ***परिशिष्ट–4.1*** की क्रम संख्या 1, 2, 3, 16 एवं 19।
[16] इसमें परिसमापन वाले पीएसयूज भी शामिल हैं।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व उनके प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बंधित विभागों को बकाया लेखाओं के सबंध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

4.9 लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब, सम्बंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ–साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में परिणित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये इन 85 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का राज्य की जीडीपी में योगदान एवं बकाया अवधि के दौरान अर्जित लाभ/हानि सहित इनकी लाभप्रदता का आकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था। लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में इन पीएसयूज में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं एवं निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन में किया गया जिस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया था।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखाओं के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। सरकार को कम्पनियों द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये तथा लेखाओं के बकाये की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

अकार्यरत राज्य पीएसयूज का समापन

4.10 31 मार्च 2018 को 43 राज्य पीएसयूज अकार्यरत कम्पनियां थीं, जिनमें कुल निवेश ₹ 1,790.38 करोड़ था ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 285.62 करोड़), नंदगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 256.80 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 239.26 करोड़) जिसमे पूँजी (₹ 1,058.25 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 732.13 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत पीएसयूज की संख्या नीचे तालिका 4.7 दी गई है।

तालिका–4.7: अकार्यरत राज्य पीएसयूज

विवरण	2015.16	2016.17	2017.18
अकार्यरत पीएसयूज की संख्या	38	43	43
उपरोक्त में से, परिसमापन के अन्तर्गत आने वाली पीएसयूज की संख्या	12	12	12

स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित।

इन 31 अकार्यरत पीएसयूज[17] के सम्बंध में सरकार को इनके समापन हेतु उचित निर्णय लेना चाहिये।

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

4.11 छः सांविधिक निगमों में से किसी ने भी वर्ष 2017–18 के लिए अपने लेखे 30 सितंबर 2018 तक प्रस्तुत नहीं किये थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। ये प्रतिवेदन सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार

[17] 43 अकार्यरत पीएसयूज में से 12 पीएसयूज परिसमापन के अन्तर्गत थीं।

विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखाओं की स्थिति एवं उनके एसएआर के विधान सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति को नीचे तालिका 4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.8: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की स्थिति

क्र. सं.	निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर राज्य विधानमण्डल में रखी गई	एसएआर के प्रस्तुतीकरण की तिथि	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखी गई	
				लेखाओं का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2012–13	12 फरवरी 2016	2013–14 2014–15	2 सितम्बर 2015 24 मार्च 2017
2	उत्तर प्रदेश वित्त निगम	2011–12	19 नवम्बर 2014	2012–13	12 नवम्बर 2015
3	उत्तर प्रदेश वन निगम	2015–16	14 फरवरी 2019	2016–17	20 नवम्बर 2018
4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2015–16	7 फरवरी 2019	2016–17	15 जुलाई 2019
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	2007–08	4 दिसंबर 2012	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12	3 अगस्त 2011 20 मई 2013 12 दिसंबर 2013 25 मई 2017
6	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2012–13	29 अगस्त 2016	2013–14 2014–15	20 जुलाई 2016 27 जून 2017

स्रोतः जीओयूपी की वेबसाइट एवं पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

4.12 इस अध्याय में शामिल किए गए 21 राज्य पीएसयूज की 30 सितंबर 2018 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए उनके लेखाओं[18] के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणामों को ***परिशिष्ट–4.1*** में उल्लिखित किया गया है।

पीएसयूज को सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 9,407.26 करोड़ था जिसमे पूँजी ₹ 4,495.12 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 4,912.14 करोड़ के निहित थे ***(परिशिष्ट–4.3)***। इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 पीएसयूज में ₹ 3,863.76 करोड़ का निवेश किया है जिसमे पूँजी ₹ 2,168.78 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 1,694.98 करोड़ निहित है।

इस अध्याय में शामिल किए गए ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि में जीओयूपी के निवेश का वर्षवार विवरण नीचे चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है।

[18] वर्ष 2015–16 से 2017–18 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे।

चार्ट–4.2: 21 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में जीओयूपी का कुल निवेश

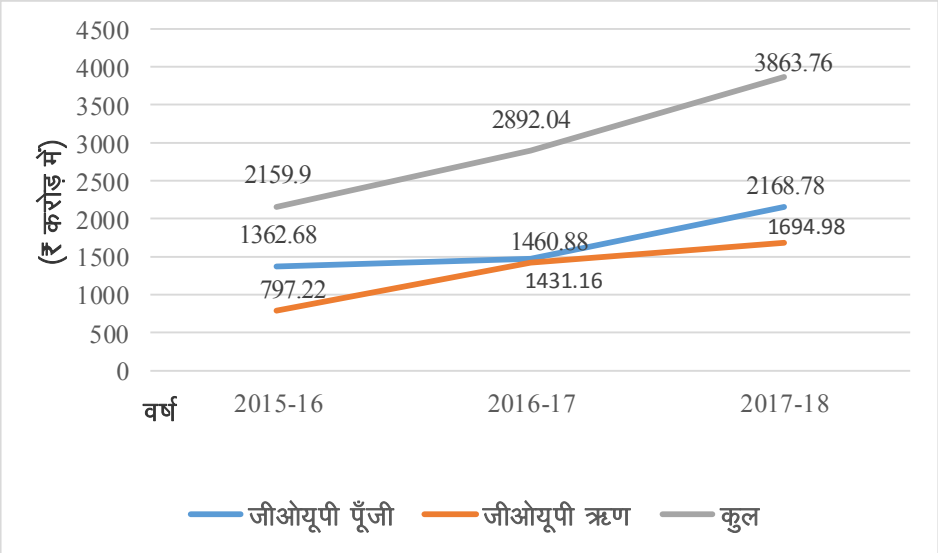

कम्पनी की लाभप्रदता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आरओआई), पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल के साक्षेप पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि एक निश्चित वर्ष में हुए लाभ अथवा हानि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को शेयर धारको की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है एवं इसकी गणना किसी कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

4.13 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान 21 कार्यरत राज्य पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि[19] की समग्र स्थिति नीचे दिये गये चार्ट 4.3 में दर्शाई गई है।

चार्ट–4.3: पिछले तीन वर्षों के दौरान 21 कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि

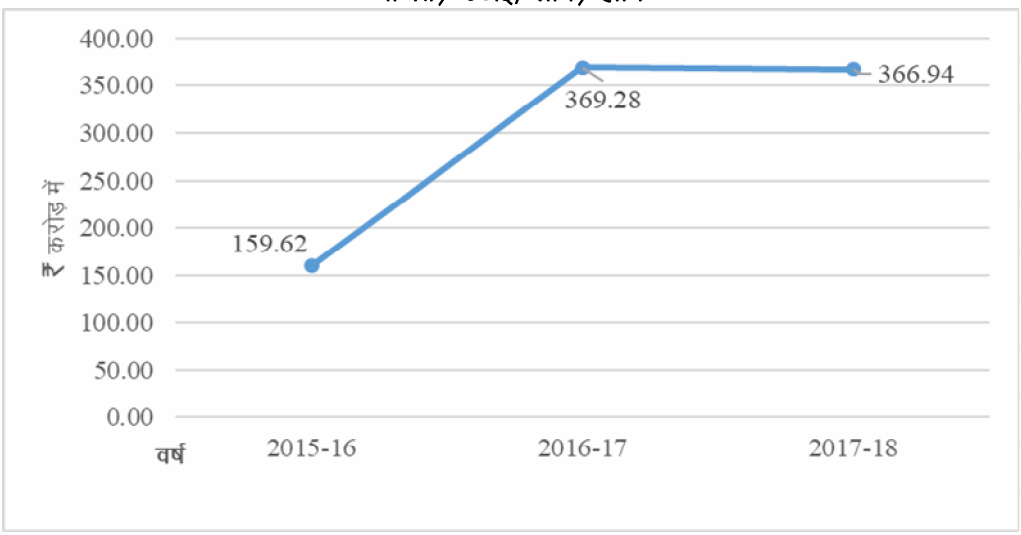

[19] आँकड़े सम्बंधित वर्ष के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

4.13.1 इन कार्यरत पीएसयूज द्वारा वर्ष 2015–16 में ₹ 159.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर ₹ 366.94 करोड़ हो गया। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन 21 कार्यरत राज्य पीएसयूज में से 16 पीएसयूज ने ₹ 423.52 करोड़ का लाभ कमाया एवं पाँच पीएसयूज ने ₹ 56.58 करोड़ की हानि वहन की जो विस्तृत रूप से ***परिशिष्ट–4.1*** में दिया गया है। 2017–18 के दौरान इन पीएसयूज का क्षेत्रवार लाभ का विवरण नीचे तालिका 4.9 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका–4.9: पीएसयूज की क्षेत्रवार लाभप्रदता

क्षेत्र	लाभ कमाने वाली पीएसयूज की संख्या	कर के बाद लाभ (₹ करोड़ में)	कर के बाद कुल लाभ के लिए लाभ प्रतिशत
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	5	341.76	80.70
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	11	81.76	19.30
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	0	-	-
योग	**16**	**423.52**	

स्रोत: पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित

2017–18 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले 16 पीएसयूज में से पाँच पीएसयूज एकाधिकार श्रेणी से सम्बंधित हैं एवं 11 पीएसयूज निश्चित आय स्रोत श्रेणी से सम्बंधित हैं। इस प्रकार इन पीएसयूज का लाभ या तो एकाधिकार का फायदा या निश्चित आय स्रोत बजटीय सहायता, आय, बैंक जमा पर ब्याज, कमीशन, आदि के कारण है। आगे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले दो पीएसयूज को 2017–18 के दौरान ₹ 26.04 करोड़ का नुकसान हुआ।

इस प्रकार लेखापरीक्षा के मंतव्य से इन पीएसयूज की आत्मनिर्भरता संदेहात्मक है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

4.14 14 राज्य पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, की लाभदायकता की गणना करने के लिए कुल आय एवं इनके निवेश का विश्लेषण किया गया है। निवेश पर प्रतिफल की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद की गई है जिससे जीओयूपी द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक रिटर्न पर पहुंचा जा सके। राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड ऋण तथा पूँजी अनुदान के रूप में इन कम्पनियों में 2000–01 से 31 मार्च 2018 तक के निवेश पर की गयी थी। 2000–01 से 2017–18 की अवधि के दौरान, 2013–14 को छोड़कर वर्ष 2004–05 से 2017–18 में इन पीएसयूज का निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था। इसलिए, इन वर्षों के लिए निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई है तथा इसे पीवी के आधार पर दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्नलिखित धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार के ऋण को सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। यद्यपि, पीएसयूज द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान के सबंध में, अवधि के दौरान पीवी की गणना ऋण के घटे हुए शेषों पर की गई है। पूँजीगत अनुदान को छोड़कर अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है।

- सम्बंधित वित्तीय वर्ष[20] के लिए राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को छूट दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल दर के रूप में माना गया है।

4.15 इन 14 राज्य पीएसयूज में 2000–01 से 2017–18 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के पूँजी, ब्याज मुक्त/ डिफॉल्टेड ऋण एवं पूँजीगत अनुदान के निवेश की पीसयूज वार स्थिति ***परिशिष्ट–4.6*** में इंगित की गई है। आगे इन राज्य पीएसयूज में समान अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश की पीवी की समेकित स्थिति नीचे की तालिका 4.10 में दी गई है।

तालिका–4.10: 2000–01 से 2017–18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त/ डिफॉल्टेड ऋण एवं पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अन्त में कुल निवेश	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v=iii+iv**	**vi**	**vii=ii+v**	**viii= vii* (1+ vi/100)**	**ix=vii*vi /100**	**x**
1999-2000 तक		548.27	96.55	644.82	9.5	644.82	706.08	61.26	
2000-01	706.08	0.00	17.75	17.75	9.58	723.83	793.17	69.34	-147.68
2001-02	793.17	0.00	-33.53	-33.53	9.49	759.64	831.73	72.09	-173.63
2002-03	831.73	10.15	26.25	36.40	7.22	868.13	930.81	62.68	-89.98
2003-04	930.81	0.00	6.25	6.25	9.13	937.06	1022.61	85.55	-148.86
2004-05	1022.61	4.59	10.75	15.34	9.47	1037.95	1136.25	98.29	13.03
2005-06	1136.25	0.00	68.54	68.54	6.49	1204.79	1282.98	78.19	88.99
2006-07	1282.98	47.00	82.22	129.22	6.74	1412.20	1507.38	95.18	103.74
2007-08	1507.38	0.00	0.00	0.00	6.43	1507.38	1604.30	96.92	132.01
2008-09	1604.30	13.88	-0.44	13.44	6.29	1617.74	1719.50	101.76	112.71
2009-10	1719.50	0.00	2.00	2.00	6.16	1721.50	1827.55	106.04	56.52
2010-11	1827.55	0.00	53.52	53.52	6.67	1881.07	2006.53	125.47	26.54
2011-12	2006.53	39.52	35.18	74.70	6.62	2081.23	2219.01	137.78	47.80
2012-13	2219.01	6.00	11.99	17.99	6.73	2237.00	2387.55	150.55	13.00
2013-14	2387.55	23.43	20.96	44.39	6.43	2431.94	2588.31	156.37	-34.58
2014-15	2588.31	211.14	150.55	361.69	6.4	2950.00	3138.80	188.80	103.84
2015-16	3138.80	633.47	261.57	895.04	6.35	4033.84	4289.99	256.15	99.04
2016-17	4289.99	498.38	347.44	845.82	6.82	5135.81	5486.08	350.26	182.93
2017-18	5486.08	132.95	186.89	319.84	6.54	5805.92	6185.62	379.71	176.54
योग		**2168.78**	**1344.44**	**3513.22**				**2672.39**	**561.97**

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्ष के अन्त में अधिशेष वर्ष 1999–2000 तक ₹ 644.82 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 के अन्त में ₹ 3,513.22 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000–01 से 2017–18 की

[20] सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (उत्तर प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान/((पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2)* 100।

अवधि के दौरान पूँजी (₹ 1,620.51 करोड़) एवं ऋण/पूँजीगत अनुदान (₹ 1,247.89 करोड़) के रूप में धनराशि का निवेश किया था। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 तक निवेश की गई धनराशियों की पीवी ₹ 6,185.62 करोड़ आती है। 2000–01 से 2003–04 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज को लगातार समग्र हानि हुई लेकिन 2005–06 से 2008–09 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज ने निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से अधिक लाभ अर्जित किया। हालाँकि, वर्ष 2009–10 के बाद इन पीएसयूज ने वर्ष 2013–14 को छोड़कर लाभ अर्जित किया, अपितु इनका कुल लाभ इस अवधि के दौरान इन पीएसयूज में किये गए निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम था।

यदि डिफॉल्टेड ब्याज सहित ऋण (आईबीएल) को निवेश के रूप में नहीं माना जाये तो, वर्ष के अन्त में इन पीएसयूज में राज्य सरकार द्वारा निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2000–2001 तक ₹ 624.37 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में ₹ 3,475.98 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने 2000–01 से 2017–2018 की अवधि के दौरान पूँजी (₹ 1,620.51 करोड़) एवं ऋण/पूँजीगत अनुदान (₹ 1,231.10 करोड़) के रूप में निवेश किया। 31 मार्च, 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई राशि की पीवी ₹ 6,071.14 करोड़ हो जायेगी।

पीएसयूज की पूँजी पर प्रतिफल

4.16 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[21] वित्तीय निष्पादन का माप है, इसकी गणना शुद्ध आय को शेयरधारकों की पूँजी से विभाजित करके की जाती है। पीएसयूज की क्षेत्रवार आरओई नीचे तालिका 4.11 में दर्शायी गयी है।

तालिका–4.11: पीएसयू की क्षेत्रवार पूँजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	क्षेत्र	आरओई 2015–16 के दौरान		आरओई 2016–17 के दौरान		आरओई 2017–18 के दौरान	
		पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)
1	एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	7	1.47	8	3.60	8	3.36
2	निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	10	19.11	11	17.18	11	17.18
3	प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	2	-	2	-	2	-
योग		**19**[22]	**2.26**	**21**	**4.20**	**21**	**3.92**

चूँकि प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र में दो पीएसयूज का कर बाद लाभ एवं शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी इसलिए इनकी आरओई की गणना नहीं की जा सकी। यह भी देखा जा सकता है कि एकाधिकारी वातावरण वाले पीएसयूज एवं निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज की आरओई सकारात्मक थी जबकि 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र के पीएसयूज की नकारात्मक आय के साथ–साथ निवल मूल्य भी नकारात्मक रहा।

इससे यह दर्शित होता कि प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र में काम करने वाले पीएसयूज व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

---

[21] पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूँजी)*100 जबकि पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानि – आस्थगित आयगत व्यय।

[22] लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद नामक दो पीएसयूज 2016–17 में निगमित हुए थे।

एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत बनाम प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्रों के पीएसयूज की आरओई की तुलना तालिका 4.12 में दर्शायी गई है।

तालिका–4.12: एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत बनाम प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्रों की पीएसयूज के पूँजी पर प्रतिफल की तुलना

वर्ष	एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत पीएसयूज		प्रतिस्पर्धी पीएसयूज	
	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)
2015-16	19	2.49	2	-
2016-17	19	4.30	2	-
2017-18	19	4.03	2	-

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

4.17 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[23] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान 21 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल पीएसयूज) के आरओसीई का विवरण नीचे दी गई तालिका 4.13 में दिया गया है।

तालिका–4.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्षवार क्षेत्रवार ब्यौरा	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2015-16			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	155.57	7375.03	2.11
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	107.56	544.43	19.76
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-8.30	154.00	-5.39
योग	**254.83**	**8073.46**	**3.16**
2016-17			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	354.52	10927.34	3.24
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	106.44	591.21	18.00
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-8.36	142.42	-5.87
योग	**452.60**	**11660.97**	**3.88**
2017-18			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	350.49	13328.77	2.63
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	106.37	591.47	17.98
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-8.36	142.42	-5.87
योग	**448.50**	**14062.66**	**3.19**

यह देखा गया कि 2017–18 में लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1854.07 करोड़) और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 546.06 करोड़) में नियोजित पूँजी में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण 2016–17 के दौरान आरओसीई 3.88 प्रतिशत से घटकर 2017–18 के दौरान 3.19 प्रतिशत हो गयी। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में दो पीएसयूज[24] की आरओसीई 2015–16 से 2017–18 के दौरान नकारात्मक थी क्योंकि

[23] नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घवधि ऋण – संचित हानियाँ – आस्थगित आयगत व्यय।

[24] उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड एवं दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड।

सभी तीन वर्षों में ईबीआईटी ही नकारात्मक थी। आगे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में 2015–16 से 2017–18 अवधि के दौरान एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) की नियोजित पूँजी भी नकारात्मक थी।

हानि वहन करने वाले पीएसयूज

4.18 इस अध्याय में शामिल किए गए 21 पीएसयूज में से पाँच पीएसयूज को वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि हुई थी। इन पीएसयूज द्वारा 2015–16 के दौरान उठायी गया हानि ₹ 47.89 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 56.58 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे तालिका 4.14 में दिया गया है।

तालिका–4.14: 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या

वर्ष के दौरान	हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य[25] (₹ करोड़ में)
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज				
2015-16	1	22.18	25.14	642.51
2016-17	3	26.31	53.13	2241.69
2017-18	3	30.54	85.00	2801.09
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज				
2015-16	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज				
2015-16	2	25.71	618.63	-389.81
2016-17	2	26.04	630.32	-401.50
2017-18	2	26.04	630.32	-401.50

वर्ष 2017–18 के दौरान पाँच पीएसयूज द्वारा उठायी गयी कुल हानि ₹ 56.58 करोड़ में से ₹ 30.54 करोड़ की हानि एकाधिकारी क्षेत्र की तीन पीएसयूज ने उठायी थी। आगे, दोनों प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाली पीएसयूज 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लगातार हानि में रहीं एवं इसी अवधि के दौरान उनकी संचित हानियाँ ₹ 618.63 करोड़ से बढ़कर ₹ 630.32 करोड़ हो गयी। इससे इन पीएसयूज की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पीएसयूज के निवल मूल्य का क्षरण

4.19 31 मार्च 2018 को कुल 21 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में से आठ पीएसयूज की ₹ 1,922.71 करोड़ की संचित हानियाँ थी। इन आठ पीएसयूज में से पाँच पीएसयूज ने वर्ष 2017–18 में ₹ 56.58 करोड़ की हानि उठायी। इनमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की दो पीएसयूज शामिल थे, जिन्होंने वर्ष के दौरान ₹ 26.04 करोड़ की हानि उठायी। आगे, तीन पीएसयूज ने वर्ष 2017–18 में हानि नहीं उठायी, जबकि उनके पास ₹ 1,207.39 करोड़ की संचित हानि थी।

प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की दोनों पीएसयूज को शामिल करके चार ऐसे पीएसयूज हैं जिनके निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण उनकी संचित हानि से हो गया था तथा 31 मार्च 2018 को

25 निवल मूल्य का तात्पर्य है कि प्रदत्त शेयर पूँजी एवं मुक्त संचय और अधिशेष से संचित हानि एवं आस्थगित आयगत व्यय घटाया। मुक्त संचय का तात्पर्य संचय जो लाभ एवं अंश प्रीमियम खाता से निकाला गया हो लेकिन इसमे परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाया गया संचय तथा प्रतिलेखित मूल्यह्रास प्रावधान शामिल नहीं होता है।

इनमे पूँजी निवेश ₹ 1,055.26 करोड़ के विरुद्ध इनका निवल मूल्य (–) ₹ 781.22 करोड़ हो गया था। इसमे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के दो पीएसयूज में पूँजी निवेश ₹ 228.82 करोड़ के विरुद्ध (–) ₹ 401.50 करोड़ का नकारात्मक निवल मूल्य शामिल है। यद्यपि उन चार पीएसयूज जिनके निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण हो गया था में से दो पीएसयूज ने 2017–18 के दौरान ₹ 97.23 करोड़ का लाभ कमाया था, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने एकाधिकारी लाभ के कारण अपने अर्जित लाभ ₹ 97.19 करोड़ की वजह से था।

31 मार्च 2018 को सभी चार पीएसयूज जिनकी पूँजी का क्षरण हो गया था, की सरकारी बकाया ऋण की राशि ₹ 696.28 करोड़ थी।

लाभांश का भुगतान

4.20 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की थी जिसके तहत लाभ में चल रहे पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई प्रदत शेयर पूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है। लाभांश के भुगतान से सम्बंधित 21 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में से 14 में जहाँ राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया था उसे नीचे तालिका 4.15 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.15: 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष	कुल पीएसयूज जहाँ जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में)	
1	**2**	**3**	**40**	**5**	**6**	**7**	**8 (7/5*100)**
2015-16	13	1362.68	8	110.81	7	3.21	2.90
2016-17	14	1460.88	5	93.17	4	0.19	0.20
2017-18	14	2168.78	1	0.05	-	-	-

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज की संख्या एक से आठ के मध्य थी। इसी अवधि में जीओयूपी को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले पीएसयूज की संख्या चार[26] से सात[27] के मध्य थी।

लाभांश भुगतान अनुपात 2015–16 के 2.90 प्रतिशत से 2016–17 में घटकर 0.20 प्रतिशत हो गया।

पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.21 2015–16 से 2017–18 के दौरान पीएसयूज के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण, जिससे पीएसयूज की क्षमता का आंकलन किया जा सके कि इन पीएसयूज ने सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से जो ऋण लिए हैं उससे सम्बंधित भुगतान में सक्षम हैं। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण आवर्त अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जा सकता है।

[26] परिशिष्ट–4.1 की क्रम संख्या 10, 13, 14 एवं 15।

[27] परिशिष्ट–4.1 की क्रम संख्या 8, 9, 10, 13, 14, 15 एवं 18।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

4.22 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी पीएसयूज के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना पीएसयूज के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चो से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, पीएसयूज की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात ने इंगित किया कि पीएसयूज अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा था। इस अध्याय में शामिल पीएसयूज 2015–16 से 2017–18 की अवधि में उनके बकाया ऋणों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका 4.16 में दिया गया हैं।

तालिका–4.16: कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ऋण पर ब्याज भार वाले में ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें ऋणों पर ब्याज भार है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2015-16	36.93	31.38	4	2	2
2016-17	30.00	131.25	5	3	2
2017-18	30.84	112.10	6	3	3

2017–18 के दौरान जिन छः राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ऋणों का दायित्व था उनमें से तीन पीएसयूज का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था एवं तीन पीएसयूज में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो ये दर्शाता है कि ये तीन पीएसयूज इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर सके।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

4.23 31 मार्च 2018 तक जीओयूपी द्वारा चार पीएसयूज को प्रदान किए गये दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 96 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी। जीओयूपी ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण नीचे तालिका 4.17 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.17: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	31 मार्च 2018 को बकाया ब्याज (₹ करोड़ में)	एक वर्ष से कम बकाया (₹ करोड़ में)	एक से तीन वर्षो का बकाया (₹ करोड़ में)	तीन वर्षो से अधिक का बकाया (₹ करोड़ में)
1	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	44.94	2.21	4.39	38.34
2	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	7.00	0.00	7.00	0.00
3	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	16.43	3.17	5.09	8.17
4	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	27.63	1.75	0.00	25.88
योग		**96.00**	**7.13**	**16.48**	**72.39**

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

4.24 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान 25 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 33 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 24 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के रख–रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 4.18 में दिया गया है।

तालिका–4.18: कार्यरत कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	12	221.89	13	379.22	12	132.71
2.	लाभ में वृद्धि	1	0.16	2	0.18	2	0.71
3.	हानि में वृद्धि	5	42.58	5	7.23	4	352.13
4.	हानि में कमी	-	-	1	0.18	3	5.05
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	2	11241.40	8	121.18	12	718.68
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	-	-	9	124.80	6	159.23

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

वर्ष 2017–18 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण–पत्र प्रदान किये एवं उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2016–17 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने प्रतिकूल प्रतिवेदन दिये थे। पीएसयूज द्वारा लेखाकंन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि 22 लेखाओं में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाकंन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 69 मामले इंगित किये गये। सीएजी ने भी पाँच लेखाओं यथा अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (2016–17), श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड (2016–17), इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (2014–15), उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2016–17) एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2013–14) में प्रतिकूल प्रमाण–पत्र निर्गत किए थे।

4.25 राज्य में छः सांविधिक निगम अर्थात (i) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (यूपीएईवीपी), (ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) (iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी), (iv) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), (v) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (यूपीएसडब्लूसी) और उत्तर प्रदेश वन निगम हैं। यूपीएसडब्लूसी एवं यूपीएफसी को छोड़कर सीएजी इन सांविधिक निगमों के एकमात्र लेखापरीक्षक हैं।

छः कार्यरत सांविधिक निगमों में से चार निगमों (यूपीएसडब्लूसी, यूपीएईवीपी, यूपीएसआरटीसी एवं उत्तर प्रदेश वन निगम) ने वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लिए पाँच वार्षिक लेखे प्रेषित किये जबकि किसी भी सांविधिक निगम ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखे प्रेषित नहीं किये। सभी पाँच लेखे एकमात्र/अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गये थे। सांविधिक लेखापरीक्षक ने यूपीएसडब्ल्यूसी के वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण–पत्र दिए थे। सभी पाँच प्राप्त लेखाओं में से सीएजी लेखापरीक्षा ने एक लेखे अर्थात उत्तर प्रदेश वन निगम के वर्ष 2016–17 के लेखाओं को दिसंबर 2018 तक पूरा कर लिया था एवं एक 'क्वालीफाईड' प्रमाण–पत्र जारी किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे तालिका 4.19 में दिया गया है।

तालिका–4.19: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	2	3.66	5	7.27	3	26.33
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	2	2.09
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	1	448.02	5	1114.38	-	-
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	-	-	4	1472.19	1	0.71

स्रोत: सांविधिक निगमों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

4.26 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश अवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बंधित आठ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को निर्गत किया गया था। तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त हो गये हैं एवं प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रखा गया है। पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर राज्य सरकार के उत्तर अभी प्रतीक्षित (अगस्त 2019) हैं। इन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 51.01 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

4.27 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उपयुक्त एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को, भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के दो से तीन माह के अन्दर, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत (जून 1987) किये। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति नीचे तालिका 4.20 में दी गयी है।

तालिका–4.20: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितंबर 2019 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) एवं प्रस्तर		पीए/प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2011-12	16 सितंबर 2013	1	6	0	1
2012-13	20 जून 2014	1	11	0	0
2013-14	17 अगस्त 2015	1	9	0	2
2014-15	8 मार्च 2016	2	4	2	0
2015-16	18 मई 2017	4	6	2	0
2016-17	7 फरवरी 2019	2	3	2	2
योग		**11**	**39**	**6**	**5**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

उपरोक्त से यह देखा जा सका कि 39 प्रस्तरों एवं 11 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, सात विभागों[28] से सम्बंधित पाँच प्रस्तरों एवं छः निष्पादन लेखापरीक्षाओं जिन पर टिप्पणी की गई थी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी प्रतीक्षित (सितंबर 2019) थी।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श

4.28 30 सितंबर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयू) में सम्मिलित एवं कोपू द्वारा विचार–विमर्श किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों की स्थिति नीचे तालिका 4.21 में दी गयी है।

तालिका–4.21: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रस्तरों जिन पर विचार–विमर्श किया गया (30 सितंबर 2019 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पीए)/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		पीए एवं प्रस्तरों जिनपर चर्चा समाप्त हुई	
	पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
1982-83 से 2010-11	76[29]	475	56	415
2011-12	1	6	0	5
2012-13	1	11	0	7
2013-14	1	9	0	7
2014-15	2	4	0	3
2015-16	4	6	0	0
2016-17	2	3		1
योग	**87**	**514**	**56**	**438**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.29 कोपू के आन्तरिक कार्य नियमावली में महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन विभागों द्वारा महालेखाकार को केवल कोपू द्वारा एटीएन पर विचार–विमर्श के समय उपलब्ध कराये जाते हैं। इसलिए, एटीएन की स्थिति की चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

[28] वन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग और आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा शहरी विकास विभाग।

[29] इसमें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर स्टैंडअलोन निष्पादन लेखापरीक्षा प्रदिवेदन शामिल है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूली

4.30 1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान लेखापरीक्षा ने ₹ 18.31 करोड़ की वसूली हेतु एक पीएसयू (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के एक मामले को इंगित किया जिसे स्वीकार कर लिया गया और उसका विवरण तालिका 4.22 में दिया गया है।

तालिका–4.22: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूलियाँ एवं पीएसयू द्वारा वसूल/स्वीकार किया गया (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूली का विवरण	1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूली		1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान प्रभावित वसूली	
		मामलों की संख्या	सम्बंधित राशि	मामलों की संख्या	सम्बंधित राशि
परिवहन विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा सेवा कर नहीं लगाने के कारण सरकार को हानि हुई	1	18.31	-	-
योग		**1**	**18.31**	**-**	**-**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना